प्रारूप–2

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता

....

....

1. आवेदक का पूरा नाम...
2. पिता / पति का नाम...
3. पता..

   ....
4. ई–मेल पता, यदि कोई हो..
5. दूरभाष संख्या और / या मोबाइल संख्या..
6. माँगी गयी सूचना का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ भी संलग्न करें).........
   ....
   ....
   ....
7. क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बंधित है : हाँ / नहीं यदि 'हाँ' तो उसका कारण...
   ....
   ....
8. जमा की गयी फीस का ब्यौरा...
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) की श्रेणी का है ? हाँ / नहीं

   (यदि हाँ तो बी.पी.एल प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. संलग्नकों की सूची...

....

....

स्थान...................................

दिनांक....................................

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

<u>पावती</u>

श्री...निवासी...से

दिनांक..को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना की माँग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक..........................पर पंजीकृत है, प्राप्त किया ।

दिनांक...............................

राज्य लोक सूचना अधिकारी का

हस्ताक्षर और पूरानाम

प्राधिकारिक मुद्रा

प्रारूप–3

आर0टी0आई0 आवेदन पत्र रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदन का दिनांक	आवेदक का नाम और पता	यदि आवेदन किसी अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बंधित है		यदि अतिरिक्त फीस अपेक्षित हो			अनुरोध की गयी सूचना या अस्वीकृति आदेश प्रेषित करने का दिनांक	अभ्युक्ति
			राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और पता जिसे आवेदन अन्तरित किया गया	अन्तरण का दिनांक	अतिरिक्त फीस की धनराशि	आवेदक को अतिरिक्त फीस की सूचना का दिनांक	अतिरिक्त फीस प्राप्त होने का दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रारूप–4

किसी अन्य लोक प्राधिकरण को आर0टी0आई0 आवेदन का स्थानान्तरण

सेवा में,

....

....

....

(उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और

पता जिसको आवेदन स्थानान्तरित किया जा रहा है)

महोदय,

कृपया श्री...
....(आवेदक का नाम और पता) का संलग्न आवेदन, दिनांक.......................................(पंजीकरण संख्या.............) जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना मांगी जा रही है, प्राप्त करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त आवेदन आपको स्थानान्तरित किया जा रहा है क्योंकि मांगी गयी सूचना के क्रमांक ....की विषय–वस्तु आपके विभाग/कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने उक्त अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए ....रूपये (...............रूपये मात्र) फीस/के रूप में भुगतान किया है जिसे सरकारी कोषागार/ लेखा में जमा कर दिया गया है।

भवदीय

(   )

दिनांकः

राज्य लोक सूचना अधिकारी

विभाग/कार्यालय का नाम और पता

टेलीफोन न0.................................

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

....

....

....

(आवेदक का नाम और पता)

चूँकि आप के उपरोक्त आवेदन में वांछित सूचना क्रमांक .... इस विभाग /कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं पड़ती है अतः उसे क्षेत्राधिकार से सम्बंधित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर दिया गया है । अनुरोध है कि आप ऊपर उल्लिखित राज्य लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क करें।

(   )

राज्य लोक सूचना अधिकारी

विभाग/कार्यालय का नाम और पता

प्रारूप–5

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रारूप</u>

पत्र संख्या............................... दिनांक...............................

प्रेषक,

....
....
....
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
का पदनाम, पता ओर दूरभाष संख्या)

सेवा में,

....
....
....
....
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के
अधीन सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता)

महोदय / महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक...............................पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक.................................का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप द्वारा मांगी गयी सूचना दी जाती है, जो निम्नवत है :

....
....
....
....

(यदि उपर्युक्त स्थान अपर्याप्त हो तो पृथक पृष्ठ संलग्न किये जा सकते हैं)

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बंधित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या

....

....

....

भवदीय,

....

....

प्रारूप–6

सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत हेतु अतिरिक्त फीस का मांगपत्र

पत्र संख्या.. दिनांक...........................

प्रेषक,

....
....
....
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,

....
....
....
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता)

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक....................पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक.................का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 के अपबन्धों के अनुसार आप से अनुरोध है कि आप सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत के रूप में रू0.......................(रुपये.........................केवल) की अतिरिक्त फीस नीचे दी गयी गणना के अनुसार जमा कर दें:

....
....
....

उपर्युक्त फीस निम्न अधिकारी को संदेय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जमा की जा सकती है :

....

यदि आपको इस मांग के विरूद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतरप्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत है:

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या

....

....

....

भवदीय,

....

....

प्रारूप–7

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गयी सूचना के अनुरोध को नामंजूर किये जाने की सूचना

पत्र संख्या............................... दिनांक.......................................

प्रेषक,

....
....
....
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,

....
....
....

महोदय / महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक....................पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक..................का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको खेद के साथ सूचित किया जाता है कि आप द्वारा मांगी गयी सूचना नीचे उल्लिखित कारण / कारणोंसे उपलबध नहीं करायी जा सकती :

....
....
....
....

यदि आप उपर्युक्त विनिश्चय से क्षुब्ध हैं तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता तथा दूरभाष संख्या

....

....

....

भवदीय,

....

....